सत्यप्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, रूडकी

वाद सं0– 60 /2023–24

अ0 धारा–143 ज0वि0अधि0
मौजा– बेडपुर परगना रूडकी
तहसील रूडकी जिला हरिद्वार

श्रीमती दीप्ति शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा निवासी बी–106, चन्द्राचार्य अपार्टमेन्ट कनखल हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार

बनाम

सरकार

नकल निर्णय दिनांकित 24/02/2024

प्रस्तुत वाद वादी **दीप्ति शर्मा** के आवेदन पत्र **दिनांक 17/10/2023** एंव ऑन–लाईन आवेदन पत्र संख्या– 143/APP/ANA/1007123 पर तहसील की जाँच आख्या दिनांक 05/01/2024 के आधार पर योजित किया गया। तहसील रूडकी की उक्त आख्या के द्वारा अवगत कराया है कि **भूमि खाता संख्या– 182 के खसरा संख्या– 523म रकबई 1.5900 हैक्टेयर में से रकबई 0.17675 हैक्टेयर स्थित ग्राम बेडपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड,** पर मौके पर कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी शामिल है से आसम्बद्ध प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो रहा है, को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भू–व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत **व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन** में अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है। वाद को दर्ज कर पक्षकार को विज्ञप्ति/नोटिस जारी किया गया। पक्षकार हाजिर हुए। वाद पत्रावली में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। तदोपरान्त वादी को राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दर से हदबन्दी का खर्चा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसे वादी द्वारा जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसील की जांच आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी न्यायालय को प्राप्त नही हुई है। वादी द्वारा वादग्रस्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर ब्यान दर्ज कराये गये, जिसमें वादी द्वारा कहा गया कि "**भूमि खाता संख्या– 182 के खसरा संख्या– 523म रकबई 1.5900 हैक्टेयर में से रकबई 0.17675 हैक्टेयर स्थित ग्राम बेडपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड,** का संक्रमणीय भूमिधरी सहखातेदार है, जिसको **व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन** हेतु धारा 143 ज0वि0 एंव भू–व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित कराना चाहता है। मेरे द्वारा उक्त खसरा नम्बर व रकबा की भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या– 119/2023 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 11/10/2018 व समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा। मेरे द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का उपयोग ग्रूप हाउसिंग के उपयोग के लिये नही किया जायेगा। मैं, उक्त खसरा नम्बर की भूमि को केवल अपने **व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन**, जो **ग्राम बेडपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार है,** के उपयोग हेतु किया जायेगा। मेरे द्वारा **व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन निर्माण** आदि से पूर्व **सम्बन्धित** विभागों व **हरिद्वार–विकास प्राधिकरण से नियमानुसार** अनुमति व अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ किया जायेगा। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एंव उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के विपरीत कोई कार्य नही किया जायेगा।" वादी द्वारा वादग्रस्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या– 119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 11/10/2018 व समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा वादी वादग्रस्त भूमि का नक्शा/ले–आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

PTO

उक्त के अतिरिक्त वादी, भविष्य में वादग्रस्त उक्त अपने हिस्से व काबिज भूमि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण या अन्य किसी सरकारी मुआवजा, जोकि नियम व राज्य सरकार के हित के विरूद्ध हो, का लाभ भी भविष्य में किसी प्रकार से प्राप्त नही कर सकेगा आदि शर्तों के अधीन उक्तानुसार उपयोग के लिये ही .धारा–143 ज0वि0 एंव भू–व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक– 05/01/2024 एंव राजस्व निरीक्षक की स्थलीय जाँच आख्या दिनांक– 06/02/2024 के आधार पर "**भूमि खाता संख्या– 182 के खसरा संख्या– 523म रकबई 1.5900 हैक्टेयर में से रकबई 0.17675 हैक्टेयर स्थित ग्राम बेडपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड,** में स्थल पर खेती कार्य, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन का कार्य नही हो रहा है, बल्कि स्थल पर खाली भूमि है, को **व्यवसायिक/औद्योगिक निर्माण** के प्रयोजन हेतु धारा–143 ज0वि0 एंव भू–व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त वादी के द्वारा भविष्य में वादग्रस्त उक्त अपने हिस्से व काबिज भूमि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण या अन्य किसी सरकारी मुआवजा, जो कि नियम व राज्य सरकार के हित के विरूद्ध हो, का लाभ भी भविष्य में किसी प्रकार से प्राप्त नही कर सकेगा। यह आदेश केवल वादी के द्वारा वादग्रस्त उक्त भूमि को उपयोग में लाने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र व वादग्रस्त भूमि का नक्शा/ले–आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा, के लिये ही मान्य होगा, आदि शर्तों का पालन सुनिश्चित् करेगा। "उक्त अकृषिक भूमि का भू–राजस्व को नियमानुसार **मौजा बेडपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार** की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद में राज्य सरकार का हित सुरक्षित रहेगा। उक्तानुसार भू–अभिलेखो में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होवे। आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजकर बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में संचित होवे।

उपरोक्त आदेश निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है कि:–

1– यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ नैनीताल, द्वारा जनहित याचिका संख्या– 119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 11/10/2018 एंव आदेश के पैरा– 14 (5) "The State Government shall not permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand. It is made clear that this will not apply to a farmer who wants to build a house for him self, as per the UPZA & L R act suitable legislation is made. Is made. In other words, there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes, including by the societies, till the enactment of law." का वादी अक्षरशः अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग/प्रयोग नही करेगा।

2– यदि वादी/आवेदनकर्ता अनुसूचित/जनजाति संवर्ग से है और वादग्रस्त भूमि पट्टे आदि से प्राप्त हुई है, तो वादग्रस्त भूमि को नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विक्रय कर सकेगा।

दिनांक– 24/02/2024

नकलकर्ता
मिलानकर्ता
24/2/2024

(दिवेश शाशनी)
उप जिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
रूडकी

प्रार्थना पत्र 229/2024
प्रा० पत्र का दिनांक 24/02/2024
24/02/2024
24/02/2024
7-00 5502 IC

सत्यप्रतिलिपि
24/2/2024
पेशकार
उप जिलाधिकारी
रूडकी